# GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION: SCHOOLS OF EXCELLENCE BRANCH OLD SECRETARIAT: DELHI-110054

No. DE.23 (648)/21/SOE/2020-21/67-73

Dated:

: 18.03.2020

#### CIRCULAR

Sub: - Important Information regarding Draw of Lots for Admission to Classes Nursery and Vacant Seats from KG to III in Schools of Excellence.

As per Order No. F.51/DGHS/PH-IV/COVID-19/2020/PrSecyhfw/2447-61 dated 16/03/2020 issued by Secretary (Health & Family Welfare) prohibiting all sports gathering (including IPL)/conferences/seminars beyond 50 people in NCT of Delhi till 31.03.2020 for the purpose of prevention and control of the outbreak of epidemic namely COVID-19.

As a large number of parents (more than 50) may gather for attending the draw of lots, the Draw of Lots for Admissions to classes Nursery and vacant seats from KG to III in Schools of Excellence scheduled to be held on 19 March, 2020 and 21 March, 2020 as per Circular No. DE.23 (648)/21/SOE/2020/41-46 dated 26/02/2020 is kept in abeyance till further orders.

All the concerned Heads of Schools are hereby directed to ensure that all the parents/guardians of the applicants are informed about the same through notice displayed at prominent places in the Schools of Excellence, including main entrance.

This issues with prior approval of the Competent Authority.

Addl.DE (School)

No. DE.23 (648)/21/SOE/2020-21/67-73 Dated: 18.03.2020 All Heads of Schools of Excellence under Directorate of Education through DEL-E.

Copy to:-

- 1. PA to Director (Education).
- 2. All Regional Directors.
- 3. All concerned District DDEs to ensure compliance.
- 4. All Heads of Schools of Excellence.
- 5. Programmer (MIS) for uploading on MIS.
- 6. Guard File.

3.2020

## दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , शिक्षा निदेशालय, \_स्कूल ऑफ़ एक्सेलैंस शाखा पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

No. DE.23 (648)/21/SOE/2020-21/74-78

दिनांक : 18.03.2020

### "परिपत्र "

विषय : स्कूल ऑफ़ एक्सेलैंस की कक्षा नर्सरी तथा कक्षा के .जी .से तीसरी तक के रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए डा से सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचना

COVID -19 के सन्दर्भ में सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) द्वारा 16.03.2020 को जारी आदेश क्रमांक No F.51/DGHS/PH-IV/COVID-19/2020/PrSecyhfw/2447-61 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होने वाली ऐसी सभी गतिविधियों जैसे - खेल ( आईपीएल सहित ), सेमिनार, कांफ्रेंस, आदि जिसमे 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित हो सकते हैं , उन पर COVID-19 के महामारी जैसे संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु 31.03.2020 तक रोक लगा दी गयी है।

स्कूल ऑफ़ एक्सेलैंस की कक्षा नर्सरी तथा कक्षा के .जी .से तीसरी तक के रिक्त स्थानों को भरने के लिए ड्रा में 50 से अधिक अभिभावकों/ संरक्षकों की उपस्तिथि की सम्भावना के दृष्टिगत तथा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में स्कूल ऑफ़ एक्सेलैंस की कक्षा नर्सरी तथा कक्षा के .जी .से तीसरी तक के रिक्त स्थानों पर परिपत्र क्रमांक No. DE.23 (648)/21/SOE/2020/ 41-46 दिनांक 26.02.2020 के अनुसार होने वाला ड्रा ( 19.03.2020 तथा 21.03.2020) अगले आदेश तक अस्थायी रूप से विलम्बित रहेगा।

स्कूल ऑफ़ एक्सेलैंस के विद्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि यह सूचना विद्यालय के सूचना पट्ट एवं विद्यालय में प्रमुख स्थानों ( मुख्य प्रवेश द्वार सहित ) पर लगाएं ताकि अभिभावकों / संरक्षकों तक यह सूचना पहुंच सके ।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त जारी।

18.3.2020

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (विद्यालय)

संलग्नक : उपर्युक्त के अनुसार

No. DE.23 (648)/21/SOE/2020-21/74-78

दिनांक: 18.03.2020

## शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सभी स्कूल ऑफ़ एक्सेलैंस के विद्यालय प्रमुखों को DEL-E द्वारा

प्रतिलिपि-

- 1. निजी सचिव, शिक्षा निदेशक
- 2. सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक/ उप शिक्षा निदेशक ( जनपद/ क्षेत्र ) को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु
- 3. MIS प्रोग्रामर को MIS पर अपलोड करने हेतु
- 4. गार्ड फाइल।

844 3.2020

उपशिक्षा निदेशक (स्कूल ऑफ़ एक्सेलैंस\_शाखा)